भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अन्तर्गत बने नियम एवं संशोधन वनों, वनोपज के अभिवहन, इमारती लकड़ी और अन्य वनोपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से सम्बद्ध विधि के समेकन के लिए अधिनियम।

वनोपजों के अभिवहन और इमारती लकडियों और अन्य वनोपज पर उग्रहणीय शुल्क से (सम्बद्ध) विधि का समेकन करना समीचीन है। अतः एतत् निम्नलिखित रूप में वह अधिनियिमत किया जाता है-

सार संग्रह : तात्पर्य - इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पूर्व भारत में भारतीय वन विधान 1878 प्रभावशाली था। इस अधिनियम के बनने के उपरान्त इसके चार संशोधनों, जो 1890, 1901, 1918 एवं 1919 में हुए, का एकीकरण किया गया है। विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों का प्रकाशन भारतीय राजपत्र 1926 खण्ड 5 पृष्ठ 165 में दिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन के विधि तथा विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र. 12023-XX-I-अ (वि. सं. 74) दिनांक 12 जून, 1974 द्वारा "दी इण्डियन फारेस्ट एक्ट" का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (क्रमांक 19, वर्ष 1963) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्राधिकृत हिन्दी पाठ म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ख) दिनांक 28-5-76 पृष्ठ सं. 441 आदि पर सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा 1 - संक्षिप्त नाम व विस्तार - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "भारतीय वन अधिनियम, 1927" है।

(2) इसका विस्तार उन राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, जो प्रथम नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग 'ख' (Part B) राज्यों में समाविष्ट थे सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उन राज्य क्षेत्रों को लागू है, जो प्रथम नवम्बर 1956 के ठीक पूर्व बिहार, बम्बई, कुर्ग, दिल्ली, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में समाविष्ट थे। कोई भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम को, पूर्ण राज्य में या उसके किसी विशिष्ट भाग में, जिस पर इसका विस्तार है, पर वहाँ यह प्रवर्तन (Force) में नहीं है, प्रवर्त्तन में ला सकेगी।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश विधान क्र. 23, वर्ष 1958 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) धारा (1) के खण्ड (2) के अंत में निम्न प्रतिस्थापित :

- 'मध्यप्रदेश राज्य के मध्य भारत एवं सिरोंज क्षेत्र छोडकर'

(ख) नवीन उपधारा (3) प्रतिस्थापित।

(3) इसका विस्तार मध्यप्रदेश राज्य के मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल एवं सिरोंज क्षेत्र पर भी किया जाता है।

यह नियम भारत के संविधानीय परिवर्तन के फलस्वरूप एडाप्टेशन लॉ आर्डर 1937, 1950, 1956 में सम्मिलित (Adapt) किया गया।

तदनुसार यह अधिनियम मध्यप्रदेश की रियासतों में दिनांक 25 फरवरी, 1973 से प्रभावशील हुआ।

[G.S.R. 42 (E) दिनांक 1 फरवरी, 1973]

धारा 2 - निर्वचन खण्ड - इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध न हो :

(1) "पशु" के अन्तर्गत हाथी, ऊँट, भैंस, घोडे, घोडियाँ, खस्सी पशु, टट्टू, बछेडे, बछेडियाँ, खच्चर, गधे, सुअर, भेडें, भेडियां, मेमने, बकरियाँ, और बकरियों के मेमने हैं।

(2) "वन अधिकारी" (Forest Officer) "वन अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार से सशक्त अधिकारी द्वारा किये गये इस अधिनियम के, सब या किसी, प्रयोजन को पूरा करने

के लिये, अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन वन अधिकारी द्वारा किये जाने के लिये आपेक्षित कोई बात करने के लिए नियुक्त करे।

टिप्पणी

वन अधिकारी को वन-भूमि के अतिक्रामकों को ऐसी अतिक्रमित भूमि को पट्टे पर देने या तत्संबंध में समझौता करने का अधिकार नहीं है। (रतनसिंह राजपूत वगै. वि. म.प्र. राज्य वगे 2012 (3) म.प्र.लॉ.ज. 173 खंडपीठ, म.प्र.)

(3) "वन अपराध" (Forest Offence) से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है।

टिप्पणी

"कत्था" एवं "कुच्च" वन उपज की परिभाषा अंतर्गत सन्निहित हैं। (म.प्र. राज्य वि. सेल्स एजोन्सीज 2005 (1) विधि भास्वर 163 (सु.को.) = A.I.R. 2004 S.C. 2088 = 2004 क्रि.लॉ.ज. 1832 = 2004 = सु.को. के (क्रि. 1313)।

(4) "वनोपज" के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुएँ :

(क) निम्न वस्तुएँ भले ही वन में पाई जावे, वन से लाई गई हों या नहीं यथा

अर्थात् इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कुचुक, खैर, लकड़ी का तेल, राल (resin), [1](सैलक (Shellac), गोंद), प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाख, महुआ फूल, महुआ बीज, [2](तेन्दू पत्ता), कुथ (Kuth) और हर्रा, बहेड़ा, आँवला (myrobolans) हैं।

(ख) निम्नलिखित जब वन में पाई जावे अथवा वन से लाई जावें तब :

(i) वृक्ष और पत्ते, फूल एवं फल और वृक्षों के इससे पूर्व अवर्णित सब अन्य भाग एवं उपज,

(ii) वे पौधे जो वृक्ष नहीं हैं और जैसे पौधों के सब भाग व उपज या घांस, बेलें नरकुल, काई सहित,

---

1. म.प्र. राज्य संशोधन नियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा जोड़ा गया।
2. भारतीय वन (म.प्र. संशोधन) अधि. 1989 (1 वर्ष 1990) के द्वारा तेन्दू पत्ता म. प्र. (असाधारण) गजट दिनांक 10.1.90 को प्रकाशित से जोड़ा गया)

(iii) वन पशु, पशु की खालें, हाथी दांत, सींग, हड्डियाँ, रेशम, रेशम के कोए, शहद और मोम तथा पशुओं के सब अन्य भाग एवं उत्पादन,

(iv) पीट (peat) सतही मिट्टी (Surface soil), चट्टान (rock) एवं खनिज (minerals) जिसमें चूने के पत्थर, लेटराइट (लाल मुरूम), खनिज तेल और खानों (mines) एवं खदानों से प्राप्त मिनरल आईल एवं तेलीय पदार्थ सम्मिलित हैं।

[1](4-क) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति के बारे में प्रतिपाल्य अधिकरण आता है जो ऐसे अधिकरण के अधीक्षण या भार साधन में हैं।

(5) "नदी" के अन्तर्गत कोई सरिता (Stream) नहर (Canal), क्रीक या अन्य धारा (Channel) है। चाहे प्राकृतिक अथवा क्रत्रिम (Artificial) हो।

(6) "इमारती लकड़ी" के अन्तर्गत वृक्ष आते हैं जो गिर गये हों या गिराये गये हों और समस्त लकड़ी, जो किसी प्रयोजन के लिये काटी गई हो (Cut up), फैशन की गई हो (Fashioned) या खोखली की गई हो (Hollowed) या न की गई हो।

(7) "वृक्ष" के अन्तर्गत ताड़, बाँस, ठूँठ, झाड़ी, और बेंत प्रजाति सम्मिलित हैं।

नोट : (1) इस अधिनियम में 'वन' शब्द की परिभाषा नहीं दी है। प्रथम बार 'वन' शब्द की व्याख्या खण्डपीठ नागपुर (A.I.R. Nagpur), लक्ष्मण इच्छाराम वि. वन मण्डलाधिकारी, रायगढ़ के प्रकरण में परिभाषित की गई है जो निम्न है :

'वन' ऐसे भूखण्ड जो वृक्षों एवं छोटे वृक्षों आच्छादित हों, या ऐसा वृक्षों वाला भूखण्ड, जो वन प्राणी शिकार के लिये हो, या बिना काश्त की जंगली जमीन हो।

नोट : (2) वन अधिकारी (Forest Officer) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक (Public Servant) है।

[2]नोट : (3) नर्मदा विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी समकक्ष वन अधिकारी हैं।

नोट : (4) चन्दन तेल वन उपज है। खुशबू इन्टरप्राइज एवं अन्य (सर्वोच्च न्यायालय वि. केरल सरकार (28.5.93)

---

1. भारतीय वन संशोधन अधिनियम (3) वर्ष 1933 के अन्तर्गत प्रति संस्थापित
2. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. ष-5-खखख-84 दस-3 के अन्तर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के वन संरक्षक, वन मण्डलाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, उपवन क्षेत्रपाल, वनरक्षक को समकक्ष क्षेत्रीय वन अधिकारी नियुक्त किया।